

( राजस्थान-सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 104/2023

पंजीकरण संख्या :- 2023/210

### बउनवान

पवन कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति रेगर निवासी बंजारी तहसील छीपाबडौद जिला बारों  
(अपीलांट)

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारों  
(रेस्पोडेन्ट)

**अपील विरुद्ध तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2758 दर्ज दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम  
छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)  
2- परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

### निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2758 दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.10.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त इंतकाल नंबर 2758 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा गै.मु.आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा भूमि गै.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2758 खोल दिया जो वर्तमान में खसरा नंबर 1157 रकबा 0.0243 हेक्टर व खसरा नंबर 1363/1139 के नये खसरा नंबर 1935/1159 रकबा 0.0486 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो रेस्पोडेन्ट की विधिक भूल है। रेस्पोडेन्ट ने मनमाने तौर पर अपीलार्थी के खातेदारी की आराजी जिसे अपीलार्थी ने आवासीय में संपरिवर्तित करवाई है, उसे इंतकाल संख्या 2758 से खाता सरकार के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल की है। उक्त वर्णित खाता सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश के कारण अपीलार्थी की उक्त आराजी राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार खसरा नंबर 1363/1139 जिसके नये खसरा नंबर 1935/1159 रकबा 0.0486 हेक्टर व खसरा नंबर 1157 रकबा 0.0243 हेक्टर पर समाप्त हो गये। अब न तो अपीलार्थी उक्त आराजी का खातेदार है और न ही अपीलार्थी उक्त आराजी का सरकारी व निजी आवश्यकता हेतु उपयोग कर सकता है जिससे उसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। उक्त इंतकाल संख्या 2758 का अपीलार्थी का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 06.10.2023 को हुआ। जब अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तो अपीलार्थी को ज्ञान हुआ तब अपीलार्थी ने उक्त इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 10.10.2023 को पटवारी पटवार हल्का छीपाबडौद के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर अपीलार्थी को दिनांक 10.10.2023 को नकल प्राप्त हुई, इसलिये जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे तथा अपील की प्रस्तुति में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल संख्या 2758 ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नंबर 1157 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा नंबर 1363/1139 रकबा 06 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 1935/1159 रकबा 0.0486 हेक्टर गे.मु. आबादी अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

**रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार** द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त इंतकाल नंबर 2758 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा गै.मु. आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा भूमि गे.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2758 खोल दिया जो वर्तमान में खसरा नंबर 1157 रकबा 0.0243 हेक्टर व खसरा नंबर 1363/1139 के नये खसरा नंबर 1935/1159 रकबा 0.0486 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो गलत है। इसको पुनः भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए अपीलांत के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था।

**प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक** की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांत द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में उक्त इंतकाल नंबर 2758 खोलते समय मात्र जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा गै.मु.आबादी के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ खोलना चाहिए था परंतु रेस्पोडेन्ट ने उक्त इंतकाल खोलते समय जरिये संपरिवर्तन में पवनकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण की 0.09 बीघा भूमि गे.मु.आबादी खाता सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ के साथ इंतकाल नंबर 2758 खोल दिया जो वर्तमान में खसरा नंबर 1157 रकबा 0.0243 हेक्टर व खसरा नंबर 1363/1139 के नये खसरा नंबर 1935/1159 रकबा 0.0486 हेक्टर खाता राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गया जो गलत है।

**परिणामस्वरूप** अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2758 दिनांक 05.07.2018 वाके ग्राम छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबड़ौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांत को सुना जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरण के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **08.07.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर  
बारां